उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-64/2017/452/92-2-17-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री रामचन्द्र मौर्य द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ) जांच में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 2,613.00 में से रू0 326.00 के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-139/92(प्रकोष्ठ)/2014'10जांच/2013 दिनांक 10;04;2014 द्वारा श्री राम चन्द्र मौर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। श्री मौर्य के पत्र दिनांक 14.07.2014 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में प्रस्तुत किया गया। श्री मौर्य टी0ए0सी0 जॉच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है एवं श्री मौर्य दिनांक 31.10.2015 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है।

2- अपचारी अधिकारी, श्री रामचन्द्र मौर्य के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं उक्त नोटिस के क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री रामचन्द्र मौर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-139/92(प्रकोष्ठ)/14-10जांच/13 दिनांक 10.04.2014 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-64/2017/452(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रामचन्द्र मौर्य, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति-सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1)ग्रा0अभि0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in